



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com,
Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक :- 01/यो0ब0-48बी0/2016- 379

दिनांक-20.03.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग
वन प्रमंडल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना)" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत गैर-वनभूमि पर वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए मजदूरी मद में अतिरिक्त **रु0 1.093 लाख (एक लाख नौ हजार तीन सौ रुपये)** मात्र का संशोधित ऑन-लाईन उप आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट-70/2015-60/स्वी0 व0 प0 दिनांक-07.03.2017 एवं आ0आ0संख्या-04/यो0बजट-70/2015-106 आ0व0प0 दिनांक-09.03.2017 तथा इस कार्यालय का उप-आवंटन पत्रांक-723 दिनांक-20.05.2016 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-339 दिनांक-15.03.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग को कुल 0.486 लाख एवं सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग को कुल 0.607 लाख रुपये का ऑन-लाईन उप-आवंटन प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्गत किया गया था, जिसमें टंकन भूल के कारण ऑन-लाईन उप-आवंटन में त्रुटिपूर्ण हो गया था।

2. वास्तव में हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग को कुल 0.881 लाख रुपये एवं सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग को कुल 0.212 लाख रुपये होना चाहिए था।
3. इस कार्यालय के पत्रांक-339 दिनांक-15.03.2017 द्वारा निर्गत ऑन-लाईन उप-आवंटन को संलग्न प्रपत्र के अनुसार संशोधित किया जाता है।
4. संशोधित ऑन-लाईन उप-आवंटन की प्रति अनुलग्न-1 पर संलग्न है।
5. प्रासंगिक पत्रों द्वारा निर्गत उप-आवंटन की सभी कण्डिकाओं में निहित शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-48बी0/2015- 379

,राँची, दिनांक :-20.03.2017

प्रतिलिपि- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :-01/यो0ब0-48बी0/2015- 379

,राँची, दिनांक :-20.03.2017

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-48b-16/379

दिनांक - 20-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	104994	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB	88,100.00 रुपये अठ्यासी हजार एक सैं

2	P 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	104995	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	21,200.00 रुपये इक्कीस हजार दो सैं
---	---	--------	--	---------------------------------------

योग: 109,300.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख नौ हजार तीन सौ



(SHRI SATNAM SINGH

ADDL. POSTAL DIVISIONARY OFFICER, HAZARIBAG